



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042026-271624
CG-DL-E-08042026-271624

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1695]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2026/चैत्र 17, 1948

No. 1695]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2026/CHAITRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2026

का.आ. 1763(अ).— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ.1663(अ) तारीख 08 एप्रिल 2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 डी जो कि जंक्शन एन.एच. 48 (पुराना एन एच-4) से प्रारंभ होकर तळेगाव-चाकण-शिक्रापुर-न्हावरा मार्ग तक कि.मी. 48/00 से कि.मी. 42/120 (शिक्रापुर- न्हावराखंड) डिजाईन लंबाई 28/120 कि.मी. तक के निर्माण चौड़ीकरण/दो लेन पेव्ड शोल्डर के साथ का बनाने . आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन का.आ. 1663 (अ) तारीख 08 एप्रिल 2025 में "इकॉनॉमिक्स टाइम्स" और "द. पुणे जिल्हा सांज समाचार" दोनो तारीख 26 एप्रिल 2026 में प्रकाशित किया गया था ;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ती प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करता है. कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि,

सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५४८डी जो कि जंक्शन एन.एच. ४८ (पुराना एन एच-४) से प्रारंभ होकर तळेगाव-चाकण-शिक्रापुर-न्हावरा मार्ग तक कि.मी. ५४/०० से कि.मी. ८२/१२० (शिक्रापुर- न्हावरा खंड) डिजाईन लांबाई २८/१२० कि.मी लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

| राज्य का नाम: महाराष्ट्र | | | जिले का नाम: पुणे | | |
|--------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---|
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| तालुक का नाम: शिरूर | | | | | |
| गांव का नाम: दहिवडी | | | | | |
| 1 | २८३ भाग | निजी | सिंचित | 0.0385 | रामदास साहेबराव सात्रस भानुदास साहेबराव सात्रस सहाडु गणपत सात्रस किसन गुलाबराव सात्रस दत्तात्रय गुलाबराव सात्रस पारूबाई जयसिंग पंदरकर सरस्वती बाबुराव पंदरकर मच्छिद्र माधव सात्रस सतीश माधव सात्रस चंद्रभागा माधव सात्रस प्रशांत सुखदेव सात्रस शिवाजी सूखदेव सात्रस प्रियांका सूखदेव सात्रस सुभद्रा आनंदा पळसकर आदिकाबाई साहेबराव कोळगे शोभा सदाशिव ढगे लताबाई सुखदेव सात्रस वसंत संभाजी सात्रस ओम चंद्रकांत सात्रस शर्वरी चंद्रकांत सात्रस मनीषा चंद्रकांत सात्रस इतर हक्क रामदास तर्फे उरळगांव वि.का.स.सो. कलावती माधव नवले शरद सहकारी बँक लि.मंचर |

| | | | | | |
|---------|---------|------|--------|--------|--|
| 2 | २८९ भाग | निजी | सिंचित | 0.162 | संभाजी आनंदा फुगे संदीप आनंदा फुगे सुभाष दगडू दौंडकर सुरेश दगडू दौंडकर विद्या परशुराम गवारी संदीप रघुनान दौंडकर प्रकाश रघुनान दौंडकर झुंबरबाई रघुनाथ दौंडकर विलास दगडू दौंडकर इतर हक्क जनसेवा सह.बँक लि.पुणे बँक ऑफ महाराष्ट्र श्री स्वामी विवेकानंद विविध कार्यकारी सेवा सहकारी दहिवडी |
| कुल योग | | | | 0.2005 | |

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/54/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2026

S.O. 1763(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Notification number **S.O.1663(A) dated 08 April 2025**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **building (widening/two lane with paved shoulder etc.) maintenance, management and operation of Road of NH-48 (Old NH-4) near Talegaon-Chakan-Shikrapur-Nhavara Section of NH-548 Km 54/00 to 82/120 (Shikrapur to Nhavra Section) Design Length-28.120 Km configuration in District Pune in the state of Maharashtra**

And whereas the substance of the said notification **S.O. 1663(A) dated 08 April 2025**, has been published in “**Economic Times**” And “**Dainik pune jilha sanj samachar** ” Both Dated **26 April 2025**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the Land Acquisition on Road of NH-48 (Old NH-4) near Talegaon-Chakan-Shikrapur-Nhavra Section of NH-548 Km 54/00 to 82/120 (Shikrapur to Nhavra Section) Design Length-28.120 Km in District Pune in the state of Maharashtra.

| State: MAHARASHTRA | | | District: PUNE | | |
|--------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------------|---|
| Sl. No. | Survey/Plot Number | Type of Land | Nature of Land | Area (in Hectares) | Name of Land Owner/Interested Person |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Taluk: Shirur | | | | | |
| Village: Dahiwadi | | | | | |
| 1 | 283 Part | Private | Irrigated | 0.0385 | Ramdas Sahebrao Satras Bhanudas Sahebrao Satras Sahadu Ganpat Satras Kisan Gulabrao Satras Dattatray Gulabrao Satras Parubai Jaisingh Pandarkar Saraswati Baburao Pandarkar Machhidra Madhav Satras Satish Madhav Satras Chandrambhaga Madhav Satras Prashant Sukhdev Satras Shivaji Sukhdev Satras Priyanka Sukhdev Satras Subhadra Ananda Palaskar Adikabai Sahebrao Kolge Shobha Sadashiv Dhage Latabai Sukhdev Satras Vasant Sambhaji Satras Om Chandrakant Satras Sharvari Chandrakant Satras Manisha Chandrakant Satras Uralgaon Ramdas V Ka.S.So Kalavati Madhav Navale Sharad Sahakari Bank Ltd Manchar |
| 2 | 289 Part | Private | Irrigated | 0.162 | Sambhaji Ananda Phuge Sandeep Ananda Phuge Subhash Dagdu Daundkar Suresh Dagdu Daundkar |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---|--|
| | | | | | Vidya Parashuram Gawari Sandeep Raghunan Daundkar Prakash Raghunan Daundkar Jhumbarbai Raghunath Daundkar Vilas Dagdu Daundkar Janaseva Co.Bank Ltd.Pune Bank of Maharashtra Shri Swami Vivekananda vividh karyakari sahakari Dahiwadi | |
| | | | | Total | 0.2005 | |

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/54/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director